भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 271
गुरुवार, 6 अगस्त, 2026/15 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

संशोधित 'उड़ान' योजना का कार्यान्वयन

***271. श्री बिभु प्रसाद तराईः**
श्री जनार्दन मिश्राः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संशोधित उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना के अंतर्गत विकसित की जाने वाली असेवित अथवा अल्प-सेवित हवाई पट्टियों की पहचान कर ली है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत नए क्षेत्रीय विमानपत्तनों, हेलीपोर्टों और वाटर एयरड्रोम के विकास को प्राथमिकता देने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत स्वदेशी विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल करने के लिए किन्हीं प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जोड़े गए नए क्षेत्रीय मार्गों पर परिचालन संबंधी व्यवहार्यता और यात्री यातायात को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"संशोधित 'उड़ान' योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री बिभु प्रसाद तराई और श्री जनार्दन मिश्रा द्वारा पूछे गए दिनांक 06.08.2026 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 271 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): देशभर में टियर-2 एवं टियर-3 शहरों और दूरस्थ क्षेत्रों में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 'उड़ान' योजना का अगला चरण दिनांक 04.07.2026 को शुरू किया गया है, जिसमें अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लक्षित किया गया है। इस योजना को 28,840 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक लागू किया जा रहा है जिसमें 12,159 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मौजूदा असेवित हवाईपट्टियों से 100 हवाईअड्डों का विकास और पर्वतीय, पूर्वोत्तर एवं आकांक्षी (एचआईएनईआर) क्षेत्रों में 3,661 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 200 हेलीपोर्टों का विकास शामिल है।

यह योजना चैलेंज मोड फ्रेमवर्क उपलब्ध कराती है जिसके तहत राज्य सरकारें विकास के लिए हवाईअड्डों और हेलीपैडों को नामित कर सकती हैं। प्रस्तावों का मूल्यांकन बाधारहित भूमि की उपलब्धता, अवसंरचना के तैयार होने, तकनीकी और परिचालन व्यवहार्यता, यातायात क्षमता, वैधानिक मंजूरियों और राज्य सरकारों के समर्थन के आधार पर किया जाता है।

(ग): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'उड़ान' योजना के अगले चरण को अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जिसमें विशेष रूप से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के प्रचालन के लिए दो एचएएल ध्रुव हेलीकॉप्टरों और दो एचएएल डोर्नियर विमानों की खरीद का प्रस्ताव शामिल है, ताकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए छोटे विमानों और हेलीकॉप्टरों की उपलब्धता में वृद्धि और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत घरेलू एयरोस्पेस सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके।

(घ): क्षेत्रीय मार्गों की परिचालन व्यवहार्यता को सुदृढ़ करने और संधारणीय यात्री यातायात को बढ़ावा देने के लिए, इस योजना में अपेक्षाकृत लम्बी अवधि की वीजीएफ व्यवस्था, जिसे पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, समाविष्ट की गई है, जिसे प्रगामी रूप से कम किया जा सकेगा, ताकि एयरलाइनें वाणिज्यिक रूप से संधारणीय परिचालनों की ओर बढ़ने में सक्षम बनें।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस योजना के प्रावधानों के अनुसार बोली प्रक्रिया में शामिल करने के लिए अपने प्राथमिकता वाले मार्गों की पहचान और प्रस्ताव कर सकते हैं।
